1006 5000Rs.

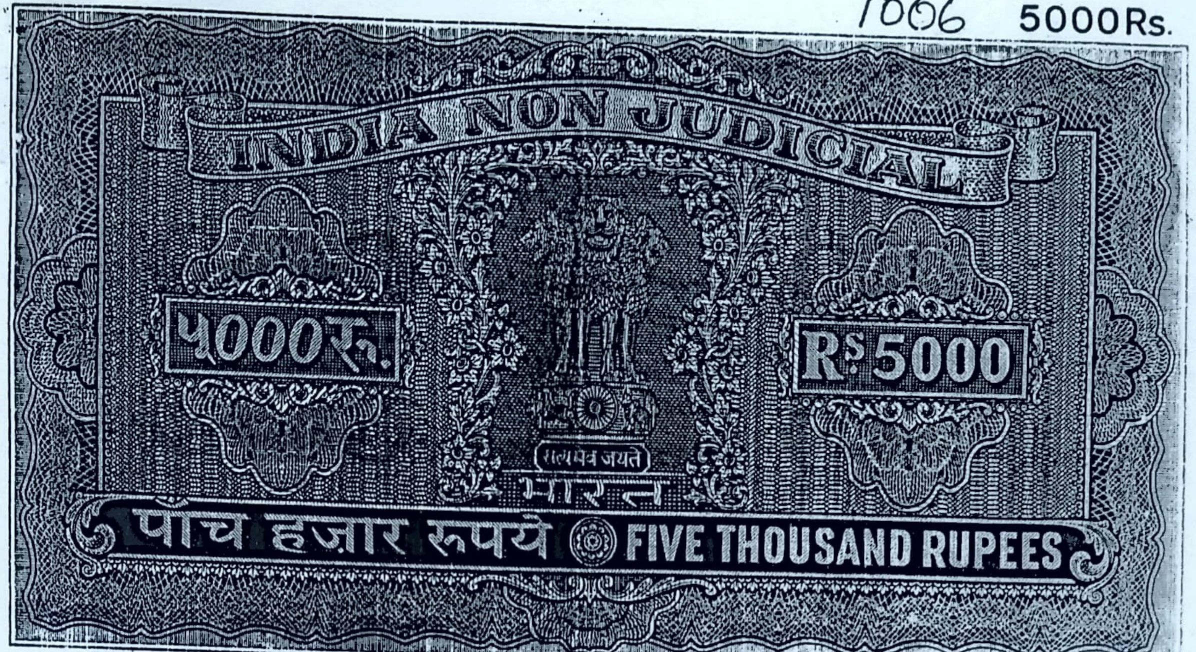

9

[illegible] ११ क [illegible] एवं [illegible]
[illegible] अधिनियम 1908 की धारा
......4.6(i)......R.R.D. के अधीन
शक्य: भारतीय स्टाम्प अधिनियम
(इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची
1 या 1 क संख्या 23 I A with the Permission
[illegible] यथावत स्टाम्प by L.R.D.C. Simdega vide
[illegible] (या स्टाम्प शुल्क [illegible] Case No. 111/2009-10
[illegible] अपेक्षित नहीं) order dated
3.10.09

6.10.10

6.10.10

6.10.2010

§1§ ले ख्यकारी :- श्रीबिनेदिक तिर्की पिता स्व0 तेलेस्फोर तिर्की
जाति मुण्डा पेशा खेती बारी निवास गांव गोतरा ठाकुर टोली
थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा - - - - - - - - - - विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या - - - - -677- - - - - - - - -/ 2010

ता. 06.10.10

(407/10)

000197/10

Sold no. 366 dt 5-10-10

कार्यालय जिला कोषागार पदाधिकारी
X 5 OCT 2010
5/X/10
सिमडेगा

श्री बेनेदिक तिर्की
पता स्व. तेलस्फोर तिर्की
कोषागार श्री जेनी सिमडेगा को
निम्नलिखित ननजुडिशियल स्टो
वाली ...कलमाला...
रुपया 6,880/-

5/X/10
कोषागार लिपिक
सिमडेगा कोष

5000×1 = 5000-
1000×1 = 1000-
500×1 = 500-
100×3 = 300-
20×4 = 80-

कुल - 6,880-

सही - बेनेदिक तिर्की
6.10.2010

6-10-10 10 ×01

... में अवर निबन्धन कार्यालय
... में लेख्यकारी या हस्ताक्षरी
... उनके मुख्तार जो सन ....
... सिर्फ़ सुपित संख्या ....
.... के बिना ...
... के द्वारा प्रमाणीकृत है।

श्री / श्रीमती बेनेदिक तिर्की
पिता / पति श्री स्व. तेलस्फोर तिर्की
जाति ईसाई ... पेशा ... थाना सिमडेगा
ग्राम ... ठाकुरटोली ... जिला ... कृषि

6.10.10
अवर निबन्धक

6.10.10

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रू. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

§2§ लेख्यधारिणी :- श्रीमती निशा देवी पति श्री चक्रधारी चीक बड़ाईक जाति चीक बड़ाईक पेशा गृहिणी निवास गांव मुड़िया धमई टोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा - भारतीय नागरिक ------------------ क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या ----678---------/ 2010

§3§ लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र-पुत्रादिक हमेशा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य :- मोवलिग एक लाख बहत्तर हजार रूपये अंके - 1,72,000/- रूपये जिसका आधा मोवलिग छेयासी हजार रूपये अंके 86,000/- रूपये होता है ।

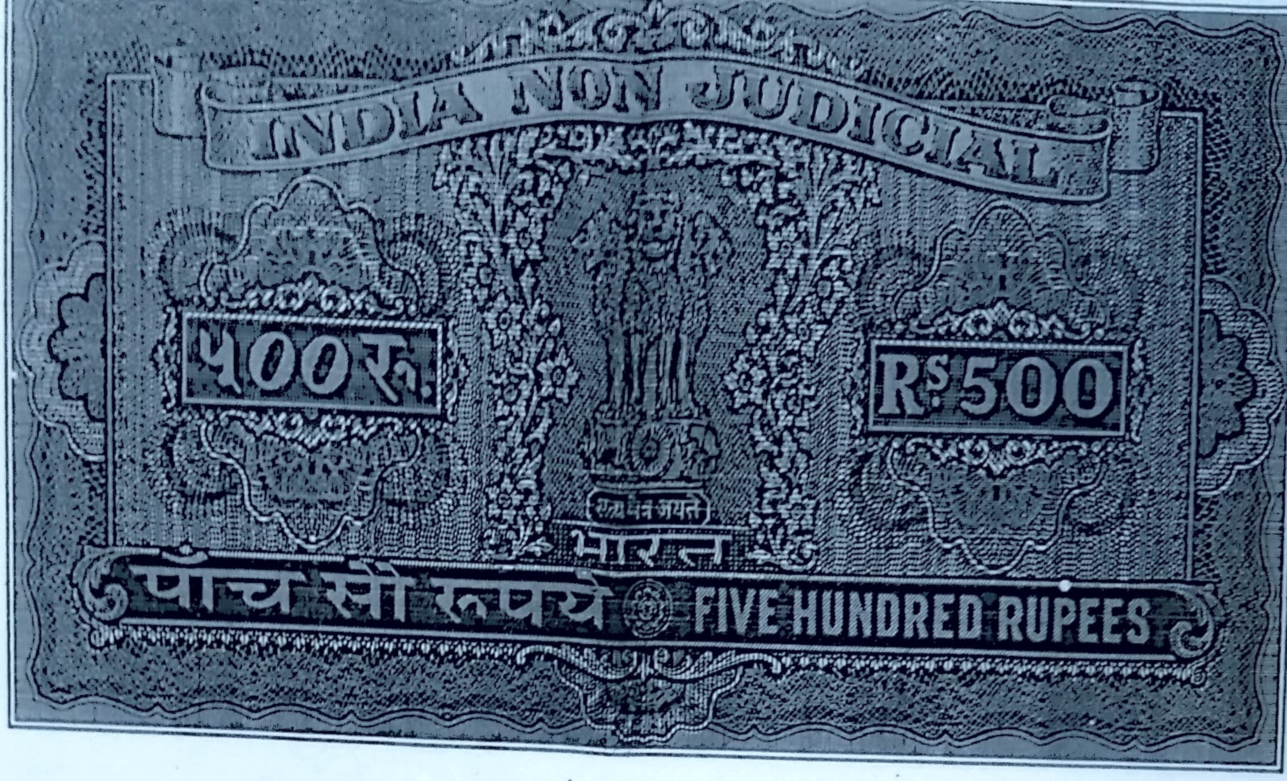

-:3 :-

6.10.2010

§5§ सम्पति :- एराजियात 0.08 एकड़ § आठ डिसमिल §

जमीन हकियत रैयती मय दखाली खातियानी वाके मौजा गोतरा

ठाकुर टोली थाना नं0 80 थाना सिमडेगा सदर रजिष्ट्री ऑफिस

वो जिला सिमडेगा के अन्दर खाता नं0 101§एक सौ एक §

प्लाट नं0 4882 § अड़तालीस सौ बयासी § रकबा 0.34 एकड़

में से 0.08 एकड़ § आठ डिसमिल § जमीन जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- प्लॉट नं0 4881 टांड़,

दक्षिण :- कच्ची रास्ता,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता,

पश्चिम :- इसी प्लॉट का अंश हाल खरीदगी ।

कुल एक खाता का एक प्लाट का टुकड़ा रकबा 0.08 एकड़ सिर्फ

जिसका मालगुजारी सालाने 02 पैसे अलावे शेष ।

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

वर्णित विक्रीत जमीन आवासीय है जिस पर मकान अथवा किसी अन्य प्रकार का कोई निर्माण नहीं हुआ है ।

(1) चूंकि इस समय मुझे मकान बनाने के वास्ते रुपये की अति आवश्यकता है इसलिए मैंने वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो0 1,72,000/- रुपये नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारिणी के पास रैयती बेचा और अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थ्यता में रह कर यह विक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी दस्तावेज लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

(2) चूंकि हम दोनों पक्ष लेख्यकारी वो लेख्यधारी आदिवासी समुदाय के रैयत हैं अतः जमीन बिक्री हेतु आवश्यक अनुमति का आवेदन सी0एन0टी0एक्ट अन्दर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

111/2009-10 श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मोकाम सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृत्यादेश दिनांक 03-10-2009 को मिली और मेमो नं0 865(11) रेव0 दिनांक 03-10-2009 ई0 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई ।

6.10.2010

(3) मैं, प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरी पुश्तैनी खातियानी है जो मेरे पर दादा पंडरू मुण्डा के नाम सर्वे नाप दर्ज है और वर्तमान में मेरे बड़े पिता फ्रांसिस मुण्डा वगैरह के नाम जमाबंदी कायम है तथा सरकारी मालगुजारी की रसीद कटती है ।वर्णित जमीन मेरे दादा के हिस्से में आयी और दादा के मृत्यु के बाद मेरे पिता तथा पिता के मरने के बाद उक्त जमीन मुझे उत्तराधिकारी के तौर पर हासिल हुआ जिस पर मेरा निर्विवाद दखल वो कब्जा है । जमीन पर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या

100Rs.

भार नहीं है । अब से उस पर सारा हक वो दखल कब्जा लेख्यधारी को हस्तान्तरित कर दिया अब से उस पर मेरा किसी प्रकार का दखल कब्जा वो हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा और न भविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

6.10.2010

§4§ चाहिए कि लेख्यधारिणी वर्णित जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर वो रह कर मकान सहन, कुआं बारी आदि बनावें वो जैसा मन चाहें अपने उपयोग में लावें वजरिये झारखण्ड सरकार के जमींदारी सिरिस्ते अंचल कार्यालय, सिमडेगा से तारीख लेख्य से दाखिल खारीज करा कर मालगुजारी की रसीद खास नाम से हासिल करें ।

-: 7 :-

लेखयकारी के कहे अनुसार इस विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया जिसे स्वीकार किये ।

सही- 6.10.2010

प्रारूप कर्त्ता,

Rash Sah
Adv.

तारीख - 6/10/10

50 Rs

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रू. FIFTY RUPEES 50Rs.

मैं, लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही - बेनेदिक तिर्की
6.10.2010

प्रमाणित किया जाता है कि बेनेदिक तिर्की का बायाँ हाथ का पाँचो अंगुलियों का छाप मेरे सामने लिया गया है।

राजेश्वर साहु
अधिवक्ता
6/10/10

ह०- बेनेदिक तिर्की
6.10.2010

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रू. 50RS.

FIFTY RUPEES

-: 9 :-

मैं, लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व धारित वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही - Nisha Devi
6/10/2010

प्रमाणित किया जाता है कि निशा देवी की बाँयें हाथ की पाँचो अंगुलियों की छाप मेरे सामने ली गई है।

राजेश्वर साहू
अधिवक्ता
6/10/10

50 Rs.

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 10 पृष्ठों में कुल 567 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है ।

6.10.2010

टंकक -

ह0/- नारायण दास
6/10/10

\{ नारायण दास \}

कचहरी परिसर, सिमडेगा ।